

फा ० स ० ए. - 110014 /10 / 2020 /सी.ए.क्यू. एम. - एस. बी. आयतन- II - 574

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में,

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

17 वॉ तल, जवाहर व्यापार भवन,
टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 28 जुलाई, 2021

सेवा में,

मुख्य सचिव,

हरियाणा सरकार, चौथा तल,

हरियाणा सिविल सचिवालय, सेक्टर-1,

चण्डीगढ़ - 160019,

आयोग की ओर से परामर्शी

विषय: पराली जलाने की समस्या हल करने के लिए पर-स्थाने पराली प्रबंधन के सम्बन्ध में।

1. जबकि, आयोग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और अन्य हिस्सेदारों / ज्ञान संस्थानों जैसे भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद (आई. सी. ए. आर.), भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान ((आई. ए. आर. आई.), भारतीय अंतरिक्ष अनुसन्धान संगठन (आई. एस. आर. ओ.), गैर सरकारी संगठन (एन. जी. ओ.) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में काम कर रहे नागरिक समाज समूहों आदि के साथ हुई विभिन्न बैठकों में अपना मत व्यक्त किया कि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने में धान पराली जलाना एक गंभीर चिंता का विषय रहा है।

2. जबकि, आयोग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की राज्य सरकारों और जी. एन. सी. टी. डी. को पराली जलाने की समस्या को हल करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के लिए एक प्रभावी ढांचा प्रदान किया और दिनांक 10 जून, 2021 को जारी निर्देशों के तहत पराली जलाने की समस्या को हल करने हेतु बनाई गई रूपरेखा के आधार पर विस्तृत / व्यापक कार्य योजना तैयार करें।

3. जबकि, पर-स्थाने फसल अवशिष्ट प्रबंधन (सी. आर. एम.) पराली जलाने की समस्या को हल करने की एक प्रमुख रणनीति संरचना है।

4. जबकि, पर-स्थाने पराली प्रबंधन विषय पर 13 जुलाई, 2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष महोदय ने की जिसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के प्रतिनिधियों विध्युत, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयों, नई दिल्ली, और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार एवं राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम (एन. टी. पी. सी.) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में अन्य बातों के साथ - साथ, इस बात पर चर्चा की गई कि, पराली का उपयोग कोयला आधारित ताप विद्युत् संयंत्रों में किया जा सकता है।

5. जबकि, धान की भूसी का बड़ा वैकल्पिक प्रयोग ताप विद्युत् संयंत्र, ऊर्जा संयंत्र, इंट का भट्टा, आदि में अवशेष के तौर पर इंधन के रूप में किया जा सकता है, साथ ही अंतिम उत्पाद के रूप में जैसे गोली (पैलेट्स / कोयले की ईट, जैव-ईंधन, (बायो-इथेनॉल, कंप्रेस्ड बायो गैस), पोर्टेबल बोर्ड, कंप्रेस्ड एग्री पैनल, पैनल फर्नीचर, पैकिंग के लिए सामग्री आदि के उत्पादन पर बैठक में जोर दिया गया।

6. जबकि, पर-स्थाने कारगर विकल्प के रूप में मुख्य चुनौती यह है कि आयोग ने जोर दिया और दोहराया कि धान की भूसी की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित करना और उसे विभिन्न उपयोग करनेवालो (एन्ड यूजर्स) को देना और सुदृढ़ आपूर्ति क्रम को दोनों पक्षों (पूर्ति व मांग पक्ष) की ज़रूरतों के अनुसार स्वस्थ संरचना नीति विकसित करने की बड़ी चुनौती है।

7. जबकि, एन. टी. पी. सी. ताप विद्युत् संयंत्रों में पेलेट/ टोरीफाइड पेलेट के रूप में धान की भूसी का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंतिम उपयोगकर्ता है, अन्य बातों के साथ - साथ मुख्य अंशों पर प्रकाश डाला कि: -

i) यह तकनीकी रूप से सम्भव है और कार्यान्वित किया जा सकता है कि ताप विद्युत् संयंत्रों में 5-10% अनुपात में कोयले के साथ बायो-मास पेलेट्स को- फायर किया जाए।

(ii) धान की भूसी के पेलेट्स, को बड़े क्रिटीकल संयंत्र में को-फायरिंग करने में कोई तकनीकी प्रयोग में बाधा नहीं हैं और तीन एन. टी. पी. सी. ताप विद्युत् संयंत्रों में सुपर क्रिटीकल बॉयलरों में प्रयोग किया जा रहा है।

(iii) एन. टी. पी. सी. ताप विद्युत् संयंत्रों में बायो-पेलेट्स के प्रयोग को बढ़ाने की कार्यवाही की जा रही है और 17 संयंत्रों में लगभग 50 लाख ((5 मिलियन) टन बायो मास प्रति वर्ष उपयोग किया जाएगा।

(iv) ताप विद्युत् संयंत्रों में निजी उद्यमियों और विक्रेताओं द्वारा धान की भूसी /बायो मास पेलेट्स की आपूर्ति बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार को एक परिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

(v) एन. टी. पी. सी. धान की भूसी के पेलेट्स का उपयोग करने के लिए समर्पित है, जो कि संयंत्र के दरवाजे के निकट उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(8.) जबकि, विद्युत् मंत्रालय, भारत सरकार ने बायोमास (जैव ईंधन) के उपयोग के लिए सी. ई. ए., एन.टी.पी.सी., डी. वी. सी. और एन.एल.सी. के प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रीय बायोमास मिशन की शुरुआत की है, जहाँ एन. टी. पी.सी. मिशन के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और ढांचागत सहायता प्रदान करेगा।

(9.) जबकि, आयोग को अवगत कराया गया कि नवीन एवं नवीकरणीय संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ने विभिन्न, जैव ईंधन परियोजनाओं के लिए सहायता देने और बायो मास आपूर्ति की श्रृंखला की मदद के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।

10. जबकि, पर-स्थाने फसल अवशिष्ट प्रबंधन और नीतिगत ढांचा बनाने और इस उद्देश्य से पारिस्थितिक तंत्र को प्रोत्साहित करने की अत्यधिक आवश्यकता है।

11. और इसलिए हरियाणा राज्य सरकार को परामर्श, दिया जाता है कि वे इस सम्बन्ध में अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित कदम उठायेंगे: -

(i) लघु वहन करने योग्य उपकरण (कटर रेकर्स, वेलर्स) का विकास और मार्गदर्शन प्रतिभाशाली ढंग से सभी मौसमों में आदान-प्रदान की अर्थव्यवस्था मॉडल के आधार पर प्रयोग किया जा सकता है।

(ii) बड़ी संख्या में अवशिष्ट प्रबंधन उपकरणों को समर्थ उद्यमी आपूर्ति और वितरण करें।

(iii) कम कीमत पर दीर्घ कालीन धान की भूसी के लिए भण्डारण सुविधा का विकास आर्थिक सहायता, ऋण गारंटी, जमानत को कम करना आदि के द्वारा किया जा सकता है।

(iv) किसानों के लिए धान के अवशिष्ट के मूल्य की लागत शोध मॉडल का प्रदर्शन उद्यमियों/ एफ.पी. ओ. की धान की भूसी के विभिन्न अंतिम उपभोक्ताओं को जोड़ कर की जा सकती है।

(v) धान की भूसी अवशिष्ट के अंतिम उपयोग की लाभप्रदता का प्रदर्शन करना।

परामर्श संख्या-6

(vi) विक्रेन्द्रीकृत नवोत्पाद फैलाना एवं प्रवर्धन करना जो कि धान की भूसी की तुलना में उँची कीमत वाले बहुत से उत्पाद होते हैं ।।

(12) इसके अतिरिक्त, हरियाणा की राज्य सरकार को परामर्श, दिया जाता है कि इस बात पर ध्यान दें कि धान की भूसी से बने जैवईंधन पेलेट्स और गरम चारकोल को सफलतापूर्वक ताप विद्युत् संयंत्र में दोनों को 10 % के अनुपात में मिश्रित करके एक साथ बिना किसी बोयलर में बदलाव किए प्रयोग किया जा सकता है और इसलिए ताप विद्युत् संयंत्रों में धान की भूसी का उपयोग निम्नवत किया जा सकता है:

(i) धान की फसल के अवशिष्ट को पर स्थाने कच्चे माल की निश्चित एवं निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ढांचागत नीति बनाना ।

हस्ता०

(अरविन्द नौटियाल)

सदस्य सचिव

फ़ोन सं: 011-20861974

ईमेल: arvind.nautiyal@gov.in |